योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1987

सा. का. नि. 167 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग) श्रेणी— III (लिपिक-वर्गीय पदों) की भर्ती नियमावली, 1973 का अधिक्रमण करते हुए ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई बातों अथवा की जाने के लिए हटाई गई बातों के अतिरिक्त जहां तक इनका संबंध है, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं जो सांख्यिकी विभाग, योजना मंत्रालय के अधीन समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण [illegible] समूह "ग" (लिपिक वर्गीय) की भर्ती पद्धति का संचालन करते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :—(1) इन नियमों को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान [illegible] समूह "ग" (लिपिक वर्गीय पद) भर्ती नियमावली, 1987 कहा जाएगा।

(2) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण, तथा वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के 2 से [illegible] 4 तक के कालमों में दिए गए हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बद्ध अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के 5 से लेकर 13 तक के कालमों में विनिर्दिष्ट है।

5. अर्हताएं —(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है या विवाह की संविदा करता है जिसका पति/पत्नी जीवित हो अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जो कि पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता है/करती है अथवा विवाह की संविदा करता है/ [illegible] सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु कि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अंतर्गत [illegible] प्रकार के विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिए अन्य कारण भी है, तो किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन में छूट दे सकती है।

6. छूट देने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए [illegible] आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों से कोई भी नियम, इस बारे में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित [illegible] और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों [illegible] नहीं डालेगा।

अनुसूची

[illegible]	* पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
	2	3	4
[illegible]	*10 (1985) *कार्यभार पर निर्भर परिवर्तन के अधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित लिपिक वर्गीय)	1400-40-1800-द. रो.-50-2300 रुपए।

[illegible] प्रवरण	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु सीमा और योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी।
	6	7	8
	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की विधि : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।
9	10	11
लागू नहीं होता	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष के सेवाकाल वाले उच्च श्रेणी लिपिक/ पदोन्नति अखिल भारतीय वरिष्ठता के आधार पर लागू होगी।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना क्या है।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाता है।
12	13
समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति संरचना : (1) निदेशक, सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग/समंक विधायन प्रभाग—अध्यक्ष —सदस्य (2) संयुक्त निदेशक (3) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालय का कोई अधिकारी/यदि ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं होता तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित समंक विधायन प्रभाग/सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग का कोई अधिकारी—सदस्य —सदस्य (4) उप निदेशक (प्रशासन)	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
2. उच्च श्रेणी लिपिक	*67 (1987) *कार्यभार पर निर्भर परिवर्तन के अधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित लिपिक वर्गीय)	1200-30-1560-द. रो.-40-2040 रुपए	अप्रवरण	लागू नहीं होता

7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

10	
[illegible]	पदोन्नति नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति [illegible] [illegible]

12	13
समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति संरचना (1) निदेशक, सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग/समंक विधायन प्रभाग—अध्यक्ष (2) संयुक्त निदेशक —सदस्य (3) अनुसूचित जाति/अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालय का कोई अधिकारी/यदि ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं होता तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित समंक विधायन प्रभाग/सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग का कोई अधिकारी —सदस्य (4) उप निदेशक (प्रशासन) —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4
अवर श्रेणी लिपिक	*58 (1987) *कार्यभार पर निर्भर परिवर्तन के अधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित लिपिक वर्गीय)	950-20-1150-द. रो.-25-1500 रुपए।

5	6
लागू नहीं जहां तक शैक्षिक एवं आयु समूह "घ" के पद से पदोन्नति का संबंध है।	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष तक छूट) टिप्पणी :—आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख भारत (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अतिरिक्त) में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी।

7	8
मैट्रिक अथवा समकक्ष और अंग्रेजी टंकण में प्रति मिनट 30 शब्दों की न्यूनतम गति या हिन्दी टंकण में प्रति मिनट 25 शब्दों की न्यूनतम गति, बशर्ते कि टंकण में कथित अर्हता न रखने वाले व्यक्ति को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है किन्तु उसके साथ यह शर्त होगी कि वह वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने और अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में स्थायिवत घोषित करने अथवा मौलिक क्षमता में नियुक्त करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह टंकण में ऊपर विनिर्दिष्ट गति प्राप्त नहीं कर लेता है। कोई विकलांग व्यक्ति जो अन्यथा लिपिक पद के योग्य है किन्तु उसके पास टंकण में अपेक्षित योग्यता नहीं है, नियुक्त किया जा सकता है परन्तु उसके साथ यह शर्त होगी कि विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय के [illegible] अथवा जहां ऐसा कोई बोर्ड नहीं है, सिविल सर्जन [illegible] विकलांग व्यक्ति टाइप करने के योग्य नहीं है।	आयु—नहीं शैक्षिक और अन्य योग्यताएं—हां

10
(क) सीधी भर्ती द्वारा 90 प्रतिशत (ख) पदोन्नति द्वारा 10 प्रतिशत

11

पदोन्नति :—
समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग के समूह "घ" के कर्मचारियों में से जो मैट्रिक पास हैं अथवा जिनके पास समकक्ष योग्यता है और समूह "घ" पद में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है किन्तु उनके साथ निम्नलिखित शर्तें होंगी :—

(1) इस विधि द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या किसी वर्ष में होने वाली रिक्तियों के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी और न भरी गई रिक्तियों के भरने नहीं ले जाई जायेंगी।

(2) कथित 10 प्रतिशत रिक्तियों में से 5 प्रतिशत रिक्तियां वरिष्ठता के आधार पर भरी जाएंगी बशर्ते कि अयोग्य व्यक्तियों को अस्वीकार कर दिया जाए तथा शेष 5 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय रूप से आयोजित की जाने वाली अर्हक परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी।

(3) विभागीय परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष) होगी।

12	13
पुष्टि एवं दक्षतारोध के मामलों पर विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति। संरचना (1) निदेशक, सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग/समंक विधायन प्रभाग—अध्यक्ष (2) संयुक्त निदेशक —सदस्य (3) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति से संबंधित केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालय का कोई अधिकारी यदि ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं होता तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित समंक विधायन प्रभाग/सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग का कोई अधिकारी। —सदस्य (4) उप निदेशक (प्रशासन)	लागू नहीं होता।

1	2	3	4
4. आशुलिपिक ग्रेड—II	*9 (1987) कार्यभार पर निर्भर परिवर्तन के अधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित लिपिक वर्गीय)	1400-40-1800-द.रो.-50-2300 रुपए

5	6	7
प्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

10	11
पदोन्नति द्वारा [illegible]	पदोन्नति : नियमित आधार पर आशुलिपिक ग्रेड-III के पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 5 वर्ष के सेवाकाल वाले आशुलिपिक ग्रेड-III पदोन्नति [illegible] भारतीय वरिष्ठता के आधार पर लागू होंगे।

12	13
समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति संरचना (1) निदेशक, सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग/समंक विधायन प्रभाग —अध्यक्ष (2) संयुक्त निदेशक —सदस्य (3) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय का कोई अधिकारी। यदि ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं होता तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित समंक विधायन प्रभाग/सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग का कोई अधिकारी —सदस्य (4) उप निदेशक (प्रशासन) —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
5. आशुलिपिक ग्रेड-III	*6 (1987) *कार्यभार पर निर्भर परिवर्तन के अधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित लिपिक वर्गीय)	1200-30-1560-द. रो.-40-2040 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष तक छूट) टिप्पणी: 1 आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख भारत (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अतिरिक्त) में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।

7	8	9
1. मैट्रिक अथवा समकक्ष योग्यता। 2. आशुलिपि में प्रति मिनट 80 शब्दों और टंकण में प्रति मिनट 40 शब्दों की न्यूनतम गति।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

10	11
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

12	13
पुष्टिकरण एवं दक्षता रोध के मामलों पर विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति। संरचना (1) निदेशक सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग/समंक विधायन प्रभाग—अध्यक्ष। (2) संयुक्त निदेशक—सदस्य। (3) अनुसूचित जाति/अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालय का कोई अधिकारी। यदि ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं होता तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित समंक विधायन प्रभाग/सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग का कोई अधिकारी—सदस्य। (4) उप निदेशक (प्रशासन)—सदस्य।	लागू नहीं होता

[सं. ए-12018/1/86-प० [illegible]]

[illegible] सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PLANNING

(Department of Statistics)

New Delhi, the 24 February, 1987

G.S.R.167:—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Sample Survey Organisation (Data Processing Division and Survey Design and Research Division) Class III (Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1973, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' (Ministerial Posts) in the Data Processing Division and Survey Design and Research Division, National Sample Survey Organisation, under the Department of Statistics, Ministry of Planning, namely:—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the National Sample Survey Organisation (Data Processing Division and Survey Design and Research Division) Group 'C' (Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application :—These rules shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these rule.

3. Number, Classification and scales of pay:—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in clolumns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualifications:—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into for contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax:—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Accountant	* 10 (1987) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted Ministerial)	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300

Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/ deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion	Promotion : Upper Division Clerks with atleast 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Promotion to be effected on the basis of all-India seniority.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee Composition : (i) Director, Survey Design and Research Division/Data Processing Division —Chairman (ii) Joint Director —Member (iii) An officer from any other Central Government office belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, failing which an officer belonging to the Scheduled Caste/the Scheduled Tribe from the Data Processing Division/Survey Design and Research Division. —Member (iv) Deputy Director (Administration) —Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Upper Division Clerk	*67 (1987) *subject to variation dependent on the workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted Ministerial)	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040

(5)	(6)	(7)	(8)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion	Promotion :—Lower Division Clerks with atleast 8 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee Composition : (i) Director, Survey Design and Research Division/Data Processing Division —Chairman (ii) Joint Director —Member (iii) An officer from any other Central Government Office belonging to the Scheduled Caste/the Scheduled Tribe, failing whcich an officer belonging to the Scheduled Caste the Scheduled Tribe from the Data Processing Division/Survey Design and Research Division. —Member (iv) Deputy Director (Administration) —Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Lower Division Clerk	*58 (1987) *subject to variation dependent on the workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted Ministerial)	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500

(5)	(6)	(7)
Selection [illegible] promotion from edu[illegible] qualified Group 'D' employees [illegible]	Between 18 and 25 years [illegible] (relaxable for Departmental candidates [illegible] in accordance with instructions [illegible] issued by the Central Government). Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India [illegible] other than those in the Andaman and [illegible]	(i) Matriculation or equivalent [illegible] (ii) Minimum speed of 30 words per minute in typewriting in English or minimum speed of 25 words per minute in typewriting in Hindi. Provided that (a) a person appointed on compassionate grounds [illegible]

5	6	7
	Nicobar Islands and Lakshadweep).	fications in typewriting may be appointed subject to the condition that he will not be eligible for drawing increment in the pay scale and also for being declared quasi-permanent or appointed in substantive capacity in the grade of Lower Division Clerk till he acquires the above specified speed in typewriting ; and (b) a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typewriting, may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the Special Employment Exchange for the handicapped or where there is no such Board, the Civil Surgeon, certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type.

(8)	(9)	(10)	(11)
Age—No Educational and other qualifications—Yes	2 years	(a) 90% by direct recruitment. (b) 10% by promotion.	Promotion :—From amongst Group 'D' employees of the Data Processing Division and Survey Design and Research Division who are Matriculates or Possess equivalent qualification and have rendered 5 years regular service in a Group 'D' post subject to the following conditions: (i) The maximum number of recruits by this method would be limited to 10% of the vacancies occurring in a year and unfilled vacancies would not be carried over. (ii) Out of the said 10% of the vacancies, 5% of vacancies shall be filled on the basis of seniority subject to rejection of unfit and the remaining 5% shall be filled on the basis of qualifying examination to be held departmentally. (iii) Maximum [illegible]

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for consideration of confirmation and EB cases Composition (i) Director, Survey Design and Research Division/Data Processing Division — Chairman (ii) Joint Director — Member (iii) An officer from any other Central Government office belonging to the Scheduled Caste/the Scheduled Tribe failing which an officer belonging to the Scheduled Caste/the Scheduled Tribe from the Data Processing Division and Survey Design and Research Division. — Member (iv) Deputy Director (Administration) — Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
4. Stenographer Grade II	* 9 (1987) *subject to variation dependent on worklaoad.	General Central Service Group 'C' (Non-gazetted Ministerial)	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300

(5)	(6)	(7)	(8)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion	Promotion:—Stenographers Grade III with 5 years' service in the grade rendred after appointment thereto on a regular basis. Promotion to be effected on the basis of All-India seniority.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee Composition (i) Director, Survey Design and Research Division/Data Processing Division —Chairman (ii) Joint Director — Member (iii) An officer from other Central Government Office belonging to the Scheduled Caste/the Scheduled Tribe failing which an officer belonging to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe from the Data processing Division/Survey Design and Research Division — Membe (iv) Deputy Director (Administration) — Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
5. Stenographer Grade III	*6 (1987) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' (Non-gazetted Ministerial)	Rs 1200-30-1560-EB-40-2040.

(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	Between 18 and 25 years*** ***relaxable for Departmental candidates upto 35 years in accordance with instructions issued by the Central Government Note:— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	1. Matriculation or equivalent qualification. 2. Minimum speed of 80 words per minute in shorthand and 40 words per minute in typewriting.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
2 years	By direct recruitment.	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation and consideration of EB cases Composition (i) Director, Survey Design and Research Division/Data Processing Division — Chairman (ii) Joint Director — Member (iii) An officer from other Central Government Office belonging to the Scheduled Caste/the Scheduled Tribes failing which an officer belonging to the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes from the Data Processing Division/Survey Design and Research Division. — Member (iv) Deputy Director (Administration) — Member	Not applicable.

[No. A. 12018/1/86-NSS. II]

JOGINDER SINGH, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1987

सा.का.नि.-168-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के सदस्यों के रूप में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की भर्ती की पद्धति और सेवा शर्तों का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम [illegible] (नियंत्रण) अपील अधिकरण सदस्य [illegible] नियम, 1987 है।

(2) [illegible]

[illegible]

(घ) "अध्यक्ष" से अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) "ज्येष्ठ उपाध्यक्ष" से, अधिकरण का ज्येष्ठ उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(च) "तकनीकी सदस्य" से अधिकरण का तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है;

(छ) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 129 के अधीन गठित सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(ज) "उपाध्यक्ष" से अधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

2. भर्ती के लिये अर्हताएं :—(1) कोई व्यक्ति [illegible] के रूप में नियुक्ति के लिये अर्हित तब [illegible]

(1) उसने भारत के राज्य-क्षेत्र में [illegible] न्यायिक पद धारण किया हो; या

(2) [illegible]

[illegible]